राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक प 5 (58)/आ.कृ/ एमएनओपी/एमएम–III/2015–16 /037-/072 जयपुर दिनांक 12.06.15

1. उप निदेशक कृषि (विस्तार)
बीकानेर/श्रीगंगानगर/नागौर/चुरू/
हनुमानगढ/टोंक/बांरा/जैसलमेर/झुँझुनू/धौलपुर/अलवर

2. सहायक निदेशक उद्यान/ सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
बीकानेर/श्रीगंगानगर/नागौर/चुरू/हनुमानगढ/टोंक/
बांरा/जैसलमेर/झुँझुनू/धौलपुर/अलवर

विषय :– जैतून की खेती के क्षेत्र विस्तार योजना के दिशा–निर्देश एवं लक्ष्यों के क्रम में।
संदर्भ :– इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 265–89 दिनांक 19.05.2015 के क्रम में।

उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत लेख है कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीडस एण्ड ऑयल पॉम योजना के तहत वर्ष 2015–16 में राज्य मे जैतून की खेती कार्यक्रम के दिशा–निर्देश इस कार्यालय के आदेश कमांक कमांक प 5 (58)/आ.कृ/ एमएनओपी/एमएम–III/2015–16/ 265–89 जयपुर दिनांक 19.5.2015 द्वारा जारी किये गये थे, के अतिकमण में नवीन दिशा–निर्देश निम्नानुसार से हैं।

माननीया मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2015–16 में जैतून की खेती को बढावा दिया जाना है। अतः वर्ष 2015–16 के लिये जैतून की खेती के जिलेवार लक्ष्यो का निर्धारण कर निर्देशित किया जाता है कि शत–प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करेंगें। यह दिशा–निर्देश राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में उपलब्ध राशि पर भी लागू होगें।

सामान्य निर्देशः

1 किसानो को एक ही योजना में लाभान्वित किया जावें यथासंभव इस हेतु पृथक से क्षेत्र निर्धारित कर लिये जावें।
2 कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिलेवार यथासंभव आंवटित लक्ष्यों के अनुसार किया जावें। आर.के.वी. वाई. के भौतिक लक्ष्य अलग से दिये जायेंगे। परिशिष्ट –1
3 योजनान्तर्गत कृषकों का चयन यथासम्भव समूह के रूप में किया जावें।
4 योजना गतिविधियों सहायता/अनुदान प्रावधान का कृषकों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें।

5 योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं की यथासंभव भागीदारी रखी जावें।

6 योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदान/ सहायता हेतु आवेदन पत्र क्षेत्र के उप निदेशक कृषि (विस्तार)/ उपनिदेशक उद्यान/ सहायक निदेशक उद्यान/ सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) को प्रस्तुत करने होंगे।

7 योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भारत सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव महिला कृषकों को लाभान्वित किये जाने की सुनिश्चित्ता करावें।

8 योजनान्तर्गत आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में प्राप्त करने होंगे। (संलग्न)

9 योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले वास्तविक आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में अनुदान राशि वास्तविक आवेदक के कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी। इसके लिये लाभार्थी को कानून में निर्धारित किये अनुसार उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10 जिला कार्यालय इस कार्यक्रम के प्रभावी समीक्षा हेतु कृषि अधिकारी/कृषि अनुसंधान अधिकारी स्तर का नोडल आफिसर मनोनीत करेगें।

11 जैतून की खेती की तकनीकी जानकारी हेतु प्रशिक्षण, जिलास्तरीय कैम्प आदि के प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित करेगें।

अनुदानः

1 पौध रोपण पर अनुदान –बगीचों की स्थापना के लिए पौध रोपण की वास्तविक लागत या अधिकतम राशि रूपये 48000/– प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो का अनुदान देय होगा।

2 पौधों के संधारण पर अनुदान (Maintenance of Plantation) – जैतून के उद्यानो के रखरखाव एवं उर्वरक, पौध सरंक्षण रसायन आदि पर राशि रू0 3,200/– प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से प्रथम चार वर्षो तक अनुदान देय होगा।

3 दिशा–निर्देशो के जारी होने के तिथि से पूर्व में यदि किसी कृषक द्वारा अनुदान लिया गया है तो पौधो पर अनुदान में किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा लेकिन पौध संरक्षण रसायन एवं उर्वरक पर इस वर्ष दिये जाने वाले अनुदान राशि रू0 3200/– प्रति हे0 की दर से ही देय होगा।

4 जैतून के साथ अन्तर शस्य क्रियाओं हेतु अनुदान :– मिनिमिशन –III के अन्तर्गत लगाए गए जैतून से उत्पादन शुरू होने तक (Gestation Period) खाद्य फसलों की अन्तर शस्य हेतु 1000/– रूपये प्रति हैक्टेयर महत्वपूर्ण आदानों हेतु अनुदान देय होगा।

भौतिक लक्ष्य – लक्ष्यो का निर्धारिण परिशिष्ट–1 पर है।

प्रकिया – (अ) पौध रोपण पर अनुदान :–

1 कृषक से आवेदन लेते समय निम्न दस्तावेज प्राप्त किये जायेंगें –

- निर्धारित आवेदन प्रपत्र मय फोटो।
- भूमि की जमाबंदी/पासबुक की नवीनतम प्रति (छः माह से अधिक पुरानी ना हो) इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त जमाबंदी भी कृषक के सत्यापन के पश्चात मान्य होगी।
- भूमि एवं पानी विश्लेषण रिपोर्ट (नहरी पानी से सिंचाई की स्थिति में पानी विश्लेषण की रिर्पोट आवश्यक नहीं है।)
- घोषणा पत्र (संलग्न) सादे कागज पर
- कृषक हिस्सा राशि
- ड्रिप संयत्र स्थापना संबधी धोषणा अथवा मानचित्र

2 जिला कार्यालय उक्त आवेदन पत्रो के अनुसार कृषको का चयन कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेगें तथा पौधो की आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0 को मांग प्रेषित करेगें।

3 जिलास्तर पर कृषक हिस्सा राशि बैंक डिमांड ड्राफट के माध्यम से उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद द्वारा प्राप्त की जावें। डी. डी. राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड (बस्सी प्रोजेक्ट) के नाम से जयपुर में भुगतान योग्य हो। यह राशि पृथक खाते में संधारित की जावें।

4 कृषक हिस्सा राशि कृषको के द्वारा राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन के मुख्यालय, संबधित जिला कार्यालय अथवा सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स (हाई–टैक एग्रो–होर्टी रिसर्च एण्ड डिमोन्सट्रेंशन सेंटर) बस्सी, जयपुर पर जमा करवायी जा सकेगी।

5 चयनित कृषको के आवेदन जैतून के उच्च गुणवत्ता, मृदा रहित मीडिया में उत्पादित पौधे सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स (हाई–टैक एग्रो–होर्टी रिसर्च एण्ड डिमोन्सट्रेंशन सेंटर) बस्सी के माध्यम से उपलब्ध करवाये जायेगें।

6 प्रति कृषक अनुदान दिए जाने हेतु अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

7 एक हैक्टेयर क्षेत्रफल के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रफलो के लिये अनुदान की गणना अनुपातिक रूप सें देय होगी (Pro-rata basis)।

8 जैतून के पौधो के क्रय पर अनुदान राशि क्रय के समय राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0 द्वारा स्वीकृति जारी कर अनुमोदित नर्सरी को उपलब्ध करवायी जायेगी।

9 अनुदान राशि की गणना क्षेत्रफल के आधार पर की जावेगी। राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड की अनुशंसा के आधार पर जैतून के बगीचे कतार से कतार की दूरी 7 मीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर ज्यामिति पर विकसित किए जाने की सलाह दी जाती है। यदि किसी किसान द्वारा अन्य ज्यामिति पर पौध रोपण किया

जाता है उस स्थिति में भी उसे दिशा–निर्देश के अनुदान बिंदु–1 के अनुसार ही अनुदान देय होगा। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत पौधे मोर्टेलिटि एवं गैपफिलिंग के लिए दिए जावेंगे। यदि किसी

10 जैतून के पौधे सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स, बस्सी जयपुर के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे। पौधो का परिवहन किसानो द्वारा ही किया जायेगा।

11 सिंचाई व्यवस्था के लिये किसानो को ड्रिप सयंत्र की स्थापना आवश्यक होगी। जिसके लिये अनुदान उद्यान विभाग द्वारा देय प्रकिया के अनुसार दिया जावेगा। इस हेतु कृषक पृथक से ड्रिप संयत्र स्थापना हेतु पत्रावली उद्यान विभाग के संबधित कार्यालय में प्रेषित कर अनुदान प्राप्त करेगें।

(ब) पौधों के संधारण पर अनुदान

इस क्रम में जैतून के पौधों के संधारण (Maintenance of Plantation) हेतु चार वर्षो तक राशि रू0 3200/– प्रति हेक्टेयर उपलब्ध करवायी जाने के दिशा–निर्देश निम्न प्रकार से प्रस्तावित है –

क्र.स.	अनुदान राशि	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चुर्तथ वर्ष	पंचम वर्ष
1	पौधे लगाने के बाद पौधों के संधारण एवं समन्वित पोषक तत्व /कीट व्याधी प्रबंध इत्यादि पर होने वाले व्यय के पेटे राशि रू0 3200/– प्रति वर्ष का अनुदान	पौधे लगाने के द्वितीय वर्ष 75 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में कृषकों को डिमांड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक मनी ट्रान्सफर के माध्यम से)	(90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक मनी ट्रान्सफर के माध्यम से)	(90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक मनी ट्रान्सफर के माध्यम से)	(90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक मनी ट्रान्सफर के माध्यम से)

उद्यानो का निरीक्षण कृषि/उद्यान/राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के कार्मिको द्वारा किया जावेगा।

(स) अन्तर शष्य पर अनुदान :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाए गए जैतून के पौधों से उत्पादन शुरू होने तक (Gastation Period) दलहन, तिलहन एवं अन्य फसलें अन्तर शष्य के रूप में उगाए जाने की पुष्टि पर 1000/– रूपये प्रति हैक्टेयर महत्वपूर्ण आदानों पर (प्रथम चार वर्षों तक) अनुदान देय होगा।

अन्तर शष्य किए जाने की पुष्टि सहायक कृषि अधिकारी अथवा कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किया जावेगा। यह अनुदान उसी स्थिति में देय होगा जबकि अन्तर शष्य की जा रही है एवं पौधों की आयु के आधार पर आवश्यक प्रतिशत पौधे जीवित होने की शर्त पूरी की जाती है। अनुदान की राशि कृषकों को डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा इलैक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावेगी।

इस कार्यक्रम का क्रियान्यवन हेतु संबधित जिले के उप निदेशक कृषि (विस्तार) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारी जिले में कार्यरत कृषि एवं उद्यान विभाग के कार्यालयो के माध्यम से कार्यक्रम का संचालन करेगें एवं समय समय पर समीक्षा कर अपनी रिर्पोट राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0 दुर्गापुरा जयपुर को प्रेषित करते हुये एक प्रति एनएमओओपी शाखा कृषि आयुक्तालय जयपुर को भी प्रेषित करेगें।

इस कार्यक्रम के क्रियान्यवन करने वाले अधिकारियो का प्रशिक्षण राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा जिसकी तिथि पृथक से सूचित की जावेगीं।

संलग्नः अनुदान प्रपत्र, घोषणा पत्र, अनुदान टेबल, पौध रोपण पूर्व एवं पश्चात के दिशा–निर्देश।

(कुलदीप रांका)
शासन सचिव एवं आयुक्त
कृषि एवं उद्यानिकी

क्रमांक प 5 (58)/आ.कृ/ एमएनओपी/एमएम–III/2015–16 जयपुर दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं उद्यान राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक उद्यान एन. एच. एम को भेज कर अनुरोध है कि उद्यान विभाग कि जिला कार्यालयो को लक्ष्यो की पूर्ति हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का श्रम करावें।
4. संयुक्त निदेशक कृषि श्रीगंगानगर/बीकानेर/सीकर/जयपुर/कोटा/जोधपुर/भरतपुर
5. चीफ आपरेशन आफिसर, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0 जयपुर।

(मानाराम चौधरी)
अतिरिक्त निदेशक कृषि (एमएनओपी)

परिशिष्ट –1

एनएमओओपी अन्तर्गत जैतून के वर्ष 2015–16 हेतु जिलेवार भौतिक लक्ष्य

क स.	जिला	भौतिक लक्ष्य हे0 में
1	श्रीगंगानगर	100
2	बीकानेर	135
3	नागौर	20
4	चुरू	20
5	हनुमानगढ	50
6	टोंक	10
7	बांरा	10
8	जैसलमेर	40
9	झुझुँनू	15
10	धौलपुर	10
11	अलवर	50
	योग	**460**

(आर. के यादवेन्द्र)
संयुक्त निदेशक कृषि (एमएनओपी)

परिशिष्ट–2

राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपॉम मिशन अन्तर्गत पौध रोपण सामग्री प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र

उप निदेशक कृषि (विस्तार),
जिला परिषद,
सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
.....

कृषक का फोटो

विषय : राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपॉम मिशन अन्तर्गत पौध रोपण के लिए अनुदानित दर पर पौध रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के क्रम में।

महोदय,

मैं/हम राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपॉम मिशन अन्तर्गत अपने खेत पर वृक्ष जनित तिलहनों के पौध रोपण हेतु टिश्यू कल्चर से उत्पादित सैकेण्डरी हार्डन्ड पौध रोपण सामग्री/सामान्य विधि से उत्पादित पौध रोपण सामग्री अनुदानित दर पर प्राप्त करना चाहते है। पौध रोपण से संबंधित विवरण निम्नानुसार है–

1. कृषक का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जिले का नाम :
4. पूर्ण पता :

5. कृषक के नाम भूमि का विवरण : सिंचित क्षेत्र (है.) ..... असिंचित क्षेत्र (है.) .....
6. .....पौध रोपण का क्षेत्रफल : क्षेत्रफल (है.) .....
   : खसरा नं .....
7. ..... के पौधों की संख्या :
8. सिंचाई का स्रोत एवं साधन :
9. मिट्टी व पानी की जाँच रिपोर्ट :

मैं/हम उक्त अनुसार ..... पौध रोपण सामग्री को विभागीय सिफारिश अनुसार लगाने पर सहमत है। इसके लिये वांछित दस्तावेज योजना दिशा–निर्देशानुसार आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे है।

दिनांकः

हस्ताक्षर कृषक
मो./फोन नं.

परिशिष्ट–3

शपथ–पत्र

मैं/हम श्री .....पुत्र श्री ..... ग्राम .....तहसील ...., जिला ..... राजस्थान के निवासी है।

मैं/हम राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपॉम मिशन अन्तर्गत के पौध रोपण के लिये टिश्यू कल्चर से उत्पादित सैकेण्डरी हार्डनिंग किये हुये पौधें/ सामान्य विधि से उत्पादित पौधे अनुदानित दर पर प्राप्त कर पौध रोपण हेतु शपथपूर्वक घोषणा करते है कि–

1. यह है कि मैं/हम ..... की पौध रोपण सामग्री को हमारे स्वयं के नाम भू–स्वामित्व वाली जमीन में रोपित करेंगे।
2. यह है कि मैं/हम .....पौध रोपण से संबंधित समय–समय पर आयोजित होने वाले कृषक प्रशिक्षण/अन्य कार्यक्रमों में समय–समय पर निर्देशानुसार उपस्थित होते रहेंगे।
3. यह है कि मेरे/हमारे पास ..... पौध रोपण हेतु सुनिश्चित सिंचाई का स्रोत एवं साधन उपलब्ध है।
4. यह है कि मैं/हम .....पौध रोपण के लिये दिशानिर्देशानुसार देय अनुदान के अतिरिक्त आवश्यक कृषक हिस्सा राशि जमा कराने पर सहमत है। इसके साथ ही बूंद–बूंद सिंचाई संयंत्र लगाये जाने के लिये कृषक हिस्सा राशि हेतु वांछित अग्रिम जमा कराने पर भी सहमत है।
5. यह है कि मैं/हम ..... पौध रोपण हेतु पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी कृषण क्रियायें हमारे स्वयं के स्तर से करने पर सहमत है।
6. यह है कि मैं/हम ..... पौध रोपण के लिये आवश्यक फैन्सिंग स्वयं के स्तर से करेंगे।
7. यह है कि मेरे/हमारे द्वारा अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी गयी .....की पौध रोपण सामग्री को खेत में रोपित किया जाकर निरन्तर ..... वर्ष तक विभागीय सिफारिशानुसार देख–रेख की जायेगी। ऐसा नहीं करने पर पौधों की अनुदानित राशि मय बैंक ब्याज दर के वसूल करने के लिये कृषि विभाग स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता